न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर(राज.)

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 01/2023(रा.गु.नि.) जीसीएमएसः 2023/21

सरकार जरिये थानाधिकारी सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

वाला पिता खुमा मीणा निवासी केवदा, थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर

.....गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

निर्णय

दिनांक–29.05.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, अपराधी श्री वाला पिता खुमा जी जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी केवदा पुलिस थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर का रहने वाला हो कर थाना हाजा का हिस्ट्रीशीटर है जो आदतन् अपराधी है। यह चोरी, लुट, नकबजनी करने का आदी है। उक्त व्यक्ति के विरूध लुट, नकबजनी में प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय मे जैर ट्रायल है। उक्त व्यक्ति अपनी गतिविधियों से बाज नही आ रहा है। इसके भय से सर्कल में आम जन में डर व्याप्त होने की वजह से कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्व उक्त द्वारा किये गये अपराध की ईतला देने या गवाही देने को तैयार नही है। ऐसे अपराधी के अपराधों पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। उक्त बदमाश को पाबन्द कराने के बावजूद भी अपनी अपराधिक गतिविधियों से बाज नही आ रहा हैं। अपराधी वाला पिता खुमा जी जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी केवदा पुलिस थाना सलूम्बर के विरूद्व विगत 6 माह की अवधि में 1. 172/22 धारा 457, 380 भादस दिनांक 01.11.22 चार्जशीट नम्बर 47/23 दिनांक 31.03.23 थाना झल्लारा 2. 185/22 धारा 457, 380 भादस दिनांक 09.11.22 चार्जशीट नम्बर 26/023 दिनांक 22.02.23 थाना झल्लारा 3. 207/22 धारा 394, 34 भादस दिनांक 14.12.22 चार्जशीट नम्बर 46/023 दिनांक 31.03.23 थाना झल्लारा 4. 18/2023 धारा 457, 380 भादस

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

दिनांक 08.02.23 चार्जशीट 20/023 दिनांक 28.02.23 थाना झल्लारा 5. 19/2023 धारा 457, 380 भादस दिनांक 08.02.23 चार्जशीट नम्बर 21/023 दिनांक 28.02.23 थाना झल्लारा में अन्वेषण उपरान्त चार्जशीट प्रस्तुत हुई जो माननीय न्यायालय में जैर ट्रायल है उक्त अपराधी धारा 2(7) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अनुसार गुण्डा की श्रेणी में आता है।

अतः अपराधी वाला पिता खुमा जी जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी केवदा पुलिस थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर के विरूध राजस्थान गुण्डा अधिनियम की धारा 3 के तहत ईस्तगासा श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय की सेवामें सादर प्रेषित कर निवेदन है कि ट्रायल उपरान्त इस गुण्डा व्यक्ति को उसके रहवासी क्षेत्र से बाहर भेजा जावे।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस तामिल कराया गया। गैरसायल द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया न ही बहस की गई। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त इस्तगासा धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही के प्रारम्भ किये जाने के तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर धारा 2 (ख) के खण्ड (1), (6) या (8) में वर्णित अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में साबित नही हो रहा है, गैरसायल के विरूद्व 2022 से 2023 तक कुल 05 प्रकरण दर्ज है जो सभी जैर ट्रायल पर है एवं दिनांक 08.02.2023 के बाद गैरसायल के विरूद्व कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रतिवेदित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने की परिभाषा को साबित नही करने से इस्तगासा खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर (राज.)

(ब) तारीख जिस